संख्या:-21/2023/001-29आ0/23-5-23-06(भवन)/2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक:06 फरवरी, 2023**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजी लेखा मद के लेखाशीर्षक "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरूद्धार" मद के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर, इटावा, अम्बेडकरनगर, महोबा, बदायूँ, हमीरपुर व रामपुर के 07 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरूद्धार" मद के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर, इटावा, अम्बेडकरनगर, महोबा, बदायूँ, हमीरपुर व रामपुर के 07 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 234.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि **रू0 59.00 लाख (रू0 उनसठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1	967बीजीबी/109बीजीबी/का0 भ0का0वि0/गोण्डा/का0यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	बलरामपुर	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0, बलरामपुर के कार्यालय भवन के विस्तार एवं पुनरोद्धार के कार्य।	15.01	05.00
2	979बीजीबी/109बीजीबी/का0 भ0/नि0ख0-1इटावा/का0यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	इटावा	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इटावा के कार्यालय भवन की छत ढ़लाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	29.61	07.00
3	968बीजीबी/109बीजीबी/का0 भ0मद/अम्बे0/का0यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	अम्बेडकर नगर	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकर नगर के पुराने टीनशेड युक्त भवन पर छत लगाने एवं मरम्मत का कार्य।	23.71	06.00
4	1033बीजीबी/109बीजीबी/प्रा0 ख0महो0/विस्ता0कार्य/का0 यो0/22-23, दि0 21.11.2022	महोबा	महोबा में कार्यालय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 के विस्तारीकरण एवं पुनरूद्धार का कार्य।	22.19	06.00
5	1020बीजीबी/109बीजीबी/का0 भवनका0पुन0/प्रा0ख0बदायूँ/कार्ययो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	बदायूँ	बदायूँ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 वि0, बदायूँ के कार्यालय भवन का विस्तार एवं पुनरूद्धार का कार्य।	40.89	10.00
6	960बीजीबी/109बीजीबी/का0 भवनका0वि0/हमीर0/का0यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	हमीरपुर	हमीरपुर में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 वि0, हमीरपुर के कार्यालय भवन का विस्तार एवं पुनरूद्धार का कार्य।	61.74	15.00
7	961बीजीबी/109बीजीबी/कार्यालय पुन0/रामपुर/कार्य यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022	रामपुर	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के पुनरूद्धार का कार्य।	41.06	10.00
			योग :-	**234.21**	**59.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

8- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- स्वीकृत कार्य में प्रस्तावानुसार सम्मिलित मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी।

15- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 59,00,000 (रूपये उनसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059010510604 कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरूद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-21/2023/001-29आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, बलरामपुर, इटावा, अम्बेडकर नगर, महोबा, बदायूँ, हमीरपुर व रामपुर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर, इटावा, अम्बेडकर नगर, महोबा, बदायूँ, हमीरपुर व रामपुर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र, चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, चित्रकूटधाम(बांदा) क्षेत्र व मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, इटावा वृत्त, फैजाबाद-अम्बेडकरनगर वृत्त, हमीरपुर वृत्त, बदायूँ/पीलीभीत वृत्त, हमीरपुर वृत्त व रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इटावा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकरनगर।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, महोबा।
17- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
19- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर।
20- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।